

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 2 जनवरी 2019—पौष 12, शक 1940

पशुपालन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2019

क्र. एफ-3-2-2018-पैंतीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1988 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में—

- (1) अनुसूची-दो में, अनुक्रमांक-5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं,

अर्थात् :—

अनु. क्र.	विभाग का नाम	पदनाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	सीधी भर्ती द्वारा	सेवा के मूल सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"5	पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विभाग	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ/सहायक संचालक	1671	92 प्रतिशत	8 प्रतिशत	..".

- (2) अनुसूची—चार में, अनुक्रमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएं,

अर्थात् :—

अनु. क्र.	विभाग का नाम	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु न्यूनतम सेवा/ अनुभव	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"4-अ	पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विभाग	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	पशु चिकित्सा में स्नातक के साथ 5 वर्ष का अनुभव	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	1. अध्यक्ष या लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य—अध्यक्ष. 2. प्रमुख सचिव/सचिव, पशुपालन विभाग—सदस्य. 3. संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं—सदस्य. 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का नामनिर्देशित समकक्ष अधिकारी—सदस्य."

No. F- 3-2-2018-XXXV—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Praesh, hereby, makes the following Amendments in the Madhya Pradesh Veterinary Service (Gazetted) Recruitment Rules, 1998, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In Schedule-II, for serial number 5 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

S. No.	Name of Department	Designation	Total number of duty posts	By Direct Recruitment	By Promotion of Substantive members of the service	By Transfer of persons from other services
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"5	Department of Veterinary and Animal Husbandry	Veterinary Assistant Surgeon/Assistant Director	1671	92 Percent	8 Percent	."

- (2) In Schedule-IV, after serial number 4 and entries relating thereto, the following serial number and entries relation thereto shall be inserted, namely :—

S. No.	Number of Department	Name of Service or post from which promotion is to be made	Minimum Service/ experience for promotion	Name of Service or post to which promotion is to be made	Name of the members of Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"4-a	Department of Veterinary and Animal Husbandry	Assistant Veterinary Field Officer	5 years experience along with Graduation in Veterinary	Veterinary Assistant Surgeon	1. Chairman or Nominated member by Chairman of public Service Commission—Chairman 2. Principal Secretary/Secretary, Animal Husbandry Department—Member. 3. Director, Veterinary Services—Member. 4. Nominated equivalent Officer of SC/ST Category—Member."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रकाश जांगरे, उप सचिव.